राजनैतिक दलों के आयकर रिटर्न से सम्बन्धित अक्सर पूछे जाने वाले प्रष्न

1. क्या राजनैतिक दलों को आयकर में छूट प्राप्त है? अगर हाँ, तो कहाँ तक?

आयकर कानून के धारा 13 **A** के अंतर्गत, राजनैतिक दलों को आयकर भुगतान में छूट प्राप्त है। लेकिन सभी दलों से अपेक्षित है ि कवे सालाना अपनी कर विवरणी आयकर विभाग में फाइल करें। सभी दलों को तमाम आय के स्रोत पर आयकर छूट प्राप्त है।

2. किस कानून के अंतर्गत राजनैतिक दलो को आयकर मे छूट प्राप्त हैं?

वे राजनैतिक दल जो भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत हैं (आयकर में छूट के योग्य है), वे आयकर कानून, 1961 की धारा 13 **A** के अंतर्गत, आयकर में छूट के योग्य हैं। जब तक कि वे हर वित्तीय वर्ष, आंकलन वर्ष में अपने लेखा परिक्षण विवरण, आय–व्यय विस्तार ब्यौरा, तुलना–पत्र सहित, आयकर रिटर्न फाइल करते हैं।

धारा 13 A के अंतर्गत एक शर्त लागू है, जो कि निम्नलिखित है।

"यदि किसी राजनैतिक दल के कोषाध्यक्ष द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति जिसे नियुक्त किया गया हो, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के 1951 (4301 195) धारा 29 **(C)** की उपधारा (3) के अंतर्गत हर वित्तीय वर्ष जानकारी देने में असमर्थ होते है तो उस वित्तीय वर्ष में इस धारा के तहत वह राजनैतिक दल किसी भी रूप में छूट प्राप्त करने के योग्य नहीं होगा।"

3. किसी धारा के तहत राजनैतिक दलों को अपनी आयकर रिटर्न प्रस्तुत करनी होती है एवं कितनी बार?

भारत में जिस प्रकार प्रति वर्ष व्यक्तिगत रूप से करदाता अपनी कर विवरणी प्रस्तुत करते हैं, पंजीकृत राजनैतिक दलों को भी समान रूप से अपनी कर–विवरणी प्रस्तुत करती होती है। धारा 139(413) के अनुसार, प्रत्येक राजनैतिक दल प्रत्येक वर्ष की आयकर रिटर्न उस वर्ष की तारिख 30 सितम्बर तक, लेखा–परीक्षण के साथ जमा करना आवश्यक है।

4. किसी राजनैतिक दल की आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि प्रतिरूप कैसे प्राप्त की जा सकती है।?

किसी भी राजनैतिक दल की आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए, उस शहर के आयकर विभाग जिसमें कि वह राजनैतिक दल पंजीकृत है, में सूचना अधिकार की एक याचिका दर्ज करवानी होती हैं।इस http://adrindia.org/content/rtis-scanned-copies-filed-political-parties-income-tax-returns-donations पर सूचना अधिकार के अंतर्गत की गई याचिका एवं सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा दिए गए उत्तर उपलब्ध कराए गए हैं।

5. किसी राजनैतिक दल द्वारा दी गई आयकर रिटर्न में कौन सी मुख्य जानकारी पर दृष्टि डालने की आवष्यकता है?

किसी भी राजनैतिक दल की कार्य पद्धति (प्रणाली) से सम्बन्धित जानकारी के पाँच भाग है :

- तुलना–पत्र : इस पत्र में आय के स्रोतों की मुख्य जानकारी मिलती है (संग्रहित पूंजी, सामान्य पूंजी, ऋण, आदि। एवं इस पूंजी का उपयोग (सम्पत्ती, पूंजी निवेश, अग्रिम धन आदि)।
- आय–व्यय खाता : शुल्क/अनुदान से प्राप्त हुई आय, दान, कूपन का विक्रय, आदि चुनाव, वित्त, कर्मचारी आदि पर किया गया व्यय।

- अनुसूची : यह तुलन–पत्र के अलग–अलग अंशो का विच्छेद है जहाँ पर ऋण लिया एवं दिया, सम्पत्ती क्रय, एवं पूंजी निवेश से सम्बन्धिक सभी जानकारी विस्तृत रूप से दी जाती है।
- योगदान जानकारी : इस जानकारी के तहत, किसी भी वित्त वर्ष में, राजनैतिक दल को (20,000 से अधिक राशि) दान देने वाले सभी दाताओं का ब्यौरा दिया जाता है। इस जानकारी की एक प्रतिलिपि, भारत निर्वाचन आयोग को (अनिवार्य रूप से) हर वर्ष भेजी जाती है, जोकि आयकर विभाग से आय पर छूट से सहसम्बन्धित है।
- आंकलन आदेशः राजनैतिक दल द्वारा उपलब्ध करवाए गए लेखों की जाँच का आदेश।

6. आंकलन आदेश क्या है एवं इसे कौन जारी करता है?

अगर किसी राजनैतिक दल द्वारा दिए गए आयकर रिटर्न, आयकर विभाग की जाँच के अंतर्गत आती है, तो ऐसे दल को एक सूचना–पत्र जारी किया जाता है, जिसमें दल को एक आंकलन कार्यवाही में प्रस्तुत होने का अनुरोध किया जाता है। इस सूचना–पत्र को आंकलन आदेश कहा जाता है, जिसकी कार्यवाही (अगले वित्तीय वर्ष पूर्ण होने तक) आयकर विभाग द्वारा संचालित की जानी चाहिए।

उदाहरण के तौर पर–अगर कोई राजनैतिक दल किसी वित्तीय वर्ष में आय शून्य घोषित करता है तो ऐसी स्थिति में आंकलन आदेश जारी किया जा सकता है। आंकलन कार्यवाही के लिए बुलाए जाने पर राजनैतिक दल को आयकर रिटर्न में शून्य आय घोषित करने के पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करने आवश्यक हैं।

7. कौन–कौन से स्रोतों से राजनैतिक दल अपनी आय प्राप्त कर सकते हैं?

राजनैतिक दलों द्वारा प्रस्तुत की गई आयकर रिटर्न द्वारा निरश्के होकर यह कहा जा सकता है ि कवे मुख्यतः, व्यक्ति विशेष, कंपनियों/अन्य संस्थाओं द्वारा दान दी गई धनराशि से कार्य करते हैं। स्वैचिदक योगदान के अलावा, कूपन–विक्रय, सदस्यता राशि एवं ब्याज आदि राजनैतिक दलों के प्रमुख आय के स्रोत हैं।

8. विभिन्न स्रोतों में एक स्रोत 'कूपन विक्रय' दिया गया है। कूपन क्या है और ये राजनैतिक दलों को विक्रय के लिए किस प्रकार प्राप्त करवाए जाते हैं?

कूपन राजनैतिक दलों द्वारा योगदान प्राप्त करने की एक विधि है और इसी कारणवश यह दलों द्वारा स्वयं ही छपाई जाती है। कितने कूपन छपवाए जाने है या कितना राशि के कूपन छपवाए जाने है इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

कुल परिमाण यानि कुल राशि भागित कूपन की राशि छोटी राशि के कूपन के लिए दान देने वासलों की विस्तृत जानकारी की आवश्यकता नहीं होती (उदाहरण के तौर पर रुपए 5/10/20 आदि) और यहाँ पर न समझाए सकने वाले धन/काला धन को भी जगह मिल सकती है।

कूपन व्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी का एकमात्र स्रोत राजनैतिक दल खुद है और कोई नहीं। यह कूपन व्यवस्था भारत निर्वाचन आयोग के प्रयोजन में नहीं आती एवं उसका इस विधि–पर कोई नियन्त्रण नहीं है।

9. आयकर–रिटर्न में दिए गए 'दान' एवं भारत निर्वाचन आयोग के दिया गया 'दान विवरण' में क्या अंतर है?

दान, जो कि आयकर रिटर्न आय के एक स्रोत के रूप मे उल्लिखित किया जाता है, वह उस वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों से प्राप्त दान राशि का एक जोड़ है। उदाहरण के तौर पर, कूपन विक्रय, पार्टी रैली के जरिए, जन सभा संचालित करते हुए, आदि। यह राशि आवश्यक नहीं कि 20,000 रुपये से अधिक हो। यह दान राशि

अलग–अलग एकत्रित की गई रकम की कोई जानकारी नहीं देती और न ही किस रूप में यह भुगतान किया गया है, उसका ब्यौरा देती है।

इसके विपरीत, भारत निर्वाचन आयोग को दिए गए 'दान विवरण' में प्रत्येक राशि 20,000 से अधिक होती है जिसमें दान देने वाले व्यक्ति का नाम, पता एवं भुगतान की विधि को दर्शाया जाता है।

10. (लेखा–विधि) राजनैतिक दलों द्वारा किस प्रकार की लेखा–विधि प्रणाली कापालन किया जाता है एवं कौन सी प्रणाली प्रस्तावित की जाती है?

वर्तमान में राजनैतिक दलों द्वारा दो प्रकार की लेखा–विधि–प्रणालियों का पालन किया जाता है।

पहली है नगद लेखा–विधि, एवं दूसरी है संग्रहण लेखा–विधि ।

पहली विधि में नगद लेन–देन दर्ज किए एजाते हैं। इसीलिए दलों द्वारा प्राप्त किए जाते जब वे वास्तवव में प्राप्त होते हैं। लेकिन इस विधि में दल की वित्तीय स्थिति का वास्तविक वर्णन करना कठिन है।

जबकि संग्रहण लेखा–विधि में, जिस अवधि में लेन–देन किए जाते हैं। भारतीय अधिकृत लेखापाल संस्था द्वारा संग्रहण लेखा–विधि प्रणाली राजनैतिक दलों के लिए प्रस्तावित की गई है।

11. जिस प्रकार राजनैतिक दल अपने आयकर रिटर्न प्रस्तुत करते है, इस विषय में कभी कोई चिंता व्यक्त की गई है?

क्योंकि सभी राजनैतिक दल एक ही लेखा–विधि प्रणाली का प्रयोग नहीं करते, यह चिंता व्यक्त की गई है कि प्रचलित लेखा–परीक्षण विधियाँ, आम जनता की वित्तीय जानकारी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहीं।

इसलिए एक ठोस सलेखाविधि एवं लेखा परीक्षण के ढांचे को तैयार करने की आवश्यकता है। ताकि आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की कार्य–प्रणाली को एक आदर्श के अनुरुप बनाया जा सके। इसके द्वारा राजनैतिक दलों की उनके वित्तीय साधनों के उपयोग को लेकर जवाबदेही को भी बेहतर बनाया जा सकता है।

12. भारतीय अधिकृत लेखापाल संस्था से क्या तात्पर्य है?

एक मण्डल/जन समूह है जो निर्धारित करता है कि किस प्रकार आयकर रिटर्न का लेखा–परीक्षण करना एवं जमा करना है। यह एक ज्ञात सत्य है कि राजनैतिक दलों द्वारा प्राप्त धनराशि में विविधताा है।

ठसलिए जवाबदेही एवं पारदर्शिता का उद्देश्य अत्यन्त गंभीर है। ICAI ने भारतीय निर्वाचन आयोग को जवाबदेही एवं पारदर्शिता को सुधारने हेतु कुछ प्रस्ताव पेश किए हैं।

राजनैतिक दलों के अभिलेखो के प्रसार में जवाबदेही एवं पारदर्शिता को सुधारने हेतु, जिन्हें ECI द्वारा स्वीकृत किया गया है।

13. राजनैतिक दलों द्वारा कर विवरणी प्रस्तुत करने हेतु ICAI ने कौन सी नवीनतम सुझाव दिए हैं।

यह सुझाव एक प्रमाणित प्रारुप लागू करने के उद्देश्य जिसके द्वारा सभी राजनैतिक दल अपनी कर–विवरणी प्रस्तुत कर सकते हैं।